

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

विवेक कुमार सिंह,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना-15, दिनांक-.....

विषय :- वित्तीय वर्ष 2016-17 में बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के कार्यान्वयन हेतु आकस्मिक व्यय के लिए 1301-कार्यालय व्यय मद में कुल रू0 1,15,00,000/- (एक करोड़ पन्द्रह लाख रुपये) मात्र अतिरिक्त राशि की स्वीकृति।

आदेश :- स्वीकृत।

2. राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2016-17 में मुख्य शीर्ष 2029-भू-राजस्व-104-सरकारी संपदाओं का प्रबन्ध-0001-राजस्व प्रशासन पर व्यय-1301-कार्यालय व्यय माँग संख्या-40 विपत्र कोड एन 2029001040001 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3. उक्त मद में विभागीय पत्रांक-157(10)/रा0, दिनांक-30.05.2016 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में 5,00,00,000/- (पाँच करोड़ रुपये) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसके क्रम में 10 (दस) जिलों से प्राप्त अधियाचना के अनुसार, प्रति पंचायतों की संख्या के आधार पर प्रति पंचायत 7438/- (सात हजार चार सौ अड़तीस) रुपये मात्र की दर से अतिरिक्त राशि की स्वीकृति निम्न रूप से दी जाती है। आवंटन आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

क्रमांक	जिला का नाम	अंचल की संख्या	पंचायतों की संख्या	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
1	किशनगंज	7	126	9,37,000.00
2	अररिया	9	218	10,00,000.00
3	मुंगेर	9	101	7,51,000.00
4	नवादा	14	184	13,68,000.00
5	शिवहर	5	53	6,80,000.00
6	भोजपुर	14	228	14,67,000.00
7	शेखपुरा	6	62	7,45,000.00
8	नालन्दा	20	263	19,56,000.00
9	पूर्णिया	14	246	18,29,000.00
10	अरवल	5	65	7,67,000.00
	कुल	103	1546	1,15,00,000.00

(एक करोड़ पन्द्रह लाख रुपये) मात्र।

4. राशि की निकासी वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-2561 वि०/2 दिनांक-17.04.1998 के आलोक में की जायेगी।

5. राशि का व्यय बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के कार्यान्वयन हेतु अधिष्ठापन/स्टेशनरी आदि पर अंचल कार्यालय हेतु 'कार्यालय व्यय' के कार्यों पर किया जायेगा।

6. विभिन्न जिलों के लिए अधियाचना के अनुसार प्रति पंचायतों की संख्या के आधार पर प्रति पंचायत 7438/- (सात हजार चार सौ अड़तीस) रूपये मात्र की दर से तथा क्रमांक-2 एवं 6 में अंकित राशि (पंचायतों की संख्या के आधार पर अधियाचित राशि से अधिक होने के कारण) जिलों से प्राप्त अधियाचना के अनुरूप दिया गया है। शेष बची राशि पंचायतों की संख्या के आधार पर अधियाचित राशि से कम होने के कारण क्रमांक-5,7 एवं 10 में अंकित जिलों को दी गयी है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-
(विवेक कुमार सिंह),
प्रधान सचिव।


ज्ञापांक...../रा०, पटना- 15, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग (बजट) बिहार, पटना/ सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी/सभी संबंधित समाहर्ता/विभागीय प्रशाखा-5 (बजट) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(विवेक कुमार सिंह),
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक..... 200 (10)/रा०, पटना- 15, दिनांक..... 20-03-17

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ प्रेषित।


(विवेक कुमार सिंह),
प्रधान सचिव।